

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

## उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन, तहसील हिण्डौन व जिला करौली  
बनाम

श्री राकेश गर्ग पुत्र श्री कपूर चंद गर्ग महुआ रोड तहसील हिण्डौन, जिला-करौली

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत सीज्ड घरेलू  
गैस सिलेण्डर एक मय 8.5 किलो गैस को राजसात् करने।

## निर्णय

दिनांक-09.01.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.04.2018 तहसील हिण्डौन में नगरपरिषद हिण्डौन में श्री राकेश गर्ग पुत्र श्री कपूर चंद गर्ग महुआ रोड तहसील हिण्डौन, जिला-करौली के कपूर चाट भण्डार की दुकान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	957216	15.5	24	8.5

इस प्रकार श्री राकेश गर्ग पुत्र श्री कपूर चंद गर्ग महुआ रोड तहसील हिण्डौन, जिला-करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.5 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का किसी भी तरह का व्यावसायिक उपयोग नहीं करता है और ना ही

अप्रार्थी द्वारा ऐसा किया गया है। जब्त किया गया सिलेण्डर अप्रार्थी के बड़े भाई का है जो सिलेण्डर को दुकान पर रखकर यह कहते हुए बाजार चले गये थे कि वे बाजार से लौटकर आते वक्त सिलेण्डर को घर ले जाएंगे। इसी दौरान सतर्कता दल को भाई का सिलेण्डर बताये जाने के बावजूद सतर्कता दल द्वारा जबरदस्ती सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में अप्रार्थी के भाई द्वारा अपना का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।


प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी राकेश गर्ग की दुकान कपूर चाट भण्डार से सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस के दौरान अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का किसी भी तरह का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही अप्रार्थी द्वारा ऐसा किया गया है। जब्त किया गया सिलेण्डर अप्रार्थी के बड़े भाई का है जिसे बाजार से लौटकर आने पर घर ले जाने की कहकर दुकान पर रखकर बाजार चले गये थे लेकिन उनके वापिस आने से पहले ही सतर्कता दल द्वारा जबरदस्ती सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में अप्रार्थी के भाई द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। लगभग आधे भरे हुए सिलेण्डर को अप्रार्थी के भाई द्वारा कहां से व क्यों लाया गया था, स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे जब्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी की दुकान पर व्यावसायिक उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 8.5 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 8.5 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डर को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डर की गैस 8.5 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में चालान प्रति मय पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

  
(नन्नुमल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
करौली